न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 49/2019

अपीलांट–	बनाम	रेस्पोडेंट्स –
मांगाराम पुत्र सवाराम जाति सुथार निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार सिवाना 2. दीपाराम पुत्र सवाजी 3. धनाराम पुत्र सवाजी जाति सुथार निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.11.2010 जो अपीलांट व उत्तरदाता सं. 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री अमृतलाल जैन, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2व3 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 02.08.2021

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सिवाना के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 15.11.2010 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा इन्द्राणा के खेत खसरा नम्बर 322, 323 रकबा क्रमशः 16–00, 16–01 बीघा किस्म धोरा भूमि के खातेदारान धनाराम, दीपाराम, मांगाराम पि० सवाराम कौम सुथार निवासी इन्द्राणा ने प्रार्थना पत्र दिनांक 15.11.[illegible] तहसीलदार सिवाना के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के [illegible] अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व [illegible] का विभाजन [illegible] का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच, ग्राम पंचायत इन्द्राणा [illegible] की

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:39:28 IST
Reason: SelfAttested

Low
जिला कलक्टर
बाड़मेर

गई तथा हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि सभी सह खातेदारान ने आपसी सहमति से जोत भूमि का विभाजन कर लिया है एवं संलग्न बंटवाड़े में वितरण किये गये लगान का विवरण सही है एवं नक्शा में जो विभाजन अंकित किया है उसी के अनुसार कब्जा काश्त है। भूमि का विभाजन एवं लगान का वितरण सही है। भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी है अतः विभाजन की सिफारिश की जाती हैं। इस पर तहसीलदार सिवाना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.11.2010 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.10.2019 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख के साथ ही मौका कब्जा की रिपोर्ट मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमो में प्रकट किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स ने संयुक्त खातेदारी की कृषि जोत का विभाजन सहमति से करवाना तय किया गया। अपीलांट ने हल्का पटवारी पर विश्वास कर कदीमी मौका कब्जा–काश्त अनुसार बंटवाड़ा कराने हेतु प्रस्ताव रखा जिस पर हल्का पटवारी द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव अनुसार विभाजन करने हेतु सहमति इकरारनामा व नक्शा के साथ तहसीलदार सिवाना के समक्ष पेश हुए। रेस्पो0 सं. 2 व 3 ने संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष छद्म रूप से अपीलांट को धोखे में रखते हुए मौके के विपरित प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करवा दिया। हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में मौके की स्थिति के विपरित टिप्पणी कर पक्षकारान की सहमति बताई है जबकि वास्तव में पटवारी हल्का मौके पर गये ही नहीं और कब्जा की स्थिति को देखे बिना ही गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश में जो नक्शा प्रस्तुत किया गया उसकी जानकारी अपीलांट को तत्समय नहीं हुई तथा विभाजन प्रस्ताव अपीलकर्ता के कब्जे एवं काश्त अनुसार नहीं होने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:39:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

जानकारी अर्सा 25 दिन पूर्व जब रेस्पो0 सं. 2 व 3 द्वारा अपीलांट व उसके पुत्रों के रहवासी मकानों व कब्जा–काश्त में दखलदांजी की गई तथा अपीलांट की ढाणी व कब्जे की भूमि रेस्पो0 सं. 2 व 3 ने अपने कब्जे में होना बताकर कब्जा करने का प्रयास किया तब अपीलांट ने वादग्रस्त आदेश की नकलें मांगी जो अपीलांट को दिनांक 13.09.19 को प्राप्त हुई तब अपीलांट को सर्वप्रथम उक्त गलत आदेश की जानकारी हुई। ऐसी स्थिति में नकल मिलने से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के लिये धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र पेश हैं। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विभाजन आदेश दिनांक 15.11.2010 अपास्त फरमाया जावें।

5. रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि अपीलांट एवं रेस्पो0 सं. 2 व 3 तीनो भाई अनपढ़ हैं जिन्होने अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति से अंगुष्ठ निशान अंकित किये हैं ऐसे में अपीलांट का यह कथन कि वह अनपढ़ होने से उसे धोखे में रखकर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करवा लिया गया है, पूर्णतया मिथ्या कथन है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध 10 वर्ष की लम्बी समयावधि के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की है जिसका समुचित कारण न तो अपील में अंकित किया है और न ही आवेदन पत्र में अंकन किया है जबकि विधि अनुसार अपील की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक दिन का विलम्ब स्पष्ट करने के लिए कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इस आधार पर अपीलांट की यह अपील पूर्णतया मयाद बाधित होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलांट एवं रेस्पो0 सं. 2 व 3 ने विभाजन प्रस्ताव का आवेदन–पत्र तहसीलदार सिवाना के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत किया था। तहसीलदार सिवाना द्वारा सभी खातेदारान की स्वतंत्र सहमति अनुसार ही उक्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत कर हल्का पटवारी को राजस्व अभिलेख में इन्द्राज हेतु आदेश जारी किया गया हैं। इसकी पालना में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी एवं नक्शा लट्ठा ट्रेस में इन्द्राज होने के बाद रेस्पो0 सं. 2 व 3 द्वारा अपने हिस्से की भूमि में खाद डालकर उपजाऊ बनाया तथा बेरे खुदवाकर सिंचित बनाया गया हैं। इस पर अपीलांट की नियत में खोट आ जाने से रेस्पो0 की सिंचित भूमि हड़पने के उद्देश्य से एवं नाहक ही परेशान व खर्चे से जेरबार करने की नियत से यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील तथ्यहीन एवं मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं जो खारिज फरमाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:39:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

6. हमने दोनो पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र दिनांक 15.11.2010 तहसीलदार सिवाना के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तावित विभाजन अनुसार भूमि आपसी रजामंदी अनुसार प्रदान की गई हैं। इस विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत नक्शा केवल पक्षकारान के हिस्से की स्थिति दर्शाने हेतु नजरीया नक्शा है, जिसका राजस्व रेकर्ड मे अंकन हेतु मौके पर पैमाईश की जाकर रेकर्ड मे दर्ज रकबा अनुसार तरमीम का अंकन किया जाना हैं। अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन हैं कि नक्शे में अंकित तरमीम के द्वारा अपीलांट के कब्जे एवं रहवासी मकान वाली भूमि रेस्पोडेंट्स के हिस्से में चली गई हैं जबकि विभाजन नक्शा में प्रत्येक खातेदार को उसके कब्जे अनुसार भूमि का हिस्सा प्रदान करते हुए सहमति हेतु हस्ताक्षर अंकित कराये गये हैं जिसमे सभी पक्षकारान ने हस्ताक्षर अंकित किये हैं। अपील के विचारण के दौरान विवादित भूमि के मौका कब्जा की रिपोर्ट तलब की गई जिसमें रेकर्ड एवं कब्जा की स्थिति में कुछ भिन्नता अवश्य पाई गई है किन्तु अपीलाधीन आदेश 9 वर्ष पूर्व पारित हुआ है ऐसे में कब्जे की स्थिति में परिवर्तन उक्त अवधि के दौरान हो जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान ने अधिनस्थ तहसीलदार सिवाना के समक्ष धारा 53(2)(i) के तहत सहमति इकरारनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया हैं तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा इस इकरारनामा को अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया हैं। अपीलांट द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान–2010 में उक्त विभाजन कराने के बाद अपने–अपने हिस्से की भूमि के खातेदार दर्ज हो जाने के 9 वर्ष बाद राजस्व रेकर्ड में फेरबदल कराने हेतु यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। अपीलांट्स द्वारा एक बार सहमति प्रदान करने के बाद इसे जरिये अपील चुनौती दिया जाना विधिसम्मत नहीं हैं। इसके उपरांत भी यदि पक्षकारान इस सहमति विभाजन इकरारनामा को छल–कपट के द्वारा अथवा धोखे में रखकर निष्पादित करवाया जाना मानते हैं तो उनको इसके लिये सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। द्वितीय अपीलांट्स जब स्वंय उक्त अपीलाधीन विभाजन तस्दीक कराने हेतु तहसीलदार सिवाना के समक्ष उपस्थित हुए हैं तो इस आदेश की जानकारी उन्हे तारतम्य में नही होने का कथन मानने योग्य नही हैं तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई 9 वर्ष की लम्बी समयावधि का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:39:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

ठोस एवं तार्किक कारण प्रकट नहीं किया गया हैं। इस प्रकार अपीलांट यह कथन कि अपीलाधीन विभाजन आदेश की जानकारी उसे अर्सा 25 दिन पूर्व ही हुई हैं, सरासर गलत कथन हैं। परिणामस्वरूप अपीलांट की ओर से प्रस्तुत यह अपील सारहीन तथ्यों पर आधारित होने एवं मयाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 02.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Lok

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:39:28 IST
Reason: SelfAttested